

प्रेषक,

भरत लाल राय,
विशेष सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
लखीमपुर खीरी

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक : ०३ जनवरी, 2014

विषय: पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत चयनित जनपदों को वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम किश्त की धनराशि आवंटित/स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के पत्र संख्या- 473/33-पी.एम.यू.-2013-1243/2013 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम किश्त की धनराशि योजनान्तर्गत अवमुक्त की गयी है, तदनुसार धनराशि को लेखा शीर्षक वार/निकायवार/पंचायतवार संलग्न फॉट के अनुसार स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव किया गया है। अतः परियोजना निदेशक, बी.आर.जी.एफ. के उक्त प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न फॉट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) योजनान्तर्गत "विकास अनुदान" मद में प्राविधानित धनराशि रू०-7021900/- हजार में से रू० 19,15,00,000/- (रू० उन्नीस करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि, को संलग्न पंचायतवार/निकायवार फॉट के अनुसार, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1- 3520/दस-2011-231/2012, दिनांक 16.12.2011 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

2- (1) प्रश्नगत धनराशि का आहरण/व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार की गाइडलाइन्स, एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि के कोषागार से आहरण के लिये बिल जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी द्वारा बनाया जायेगा तथा उस पर संबंधित जिला पंचायत के वित्तीय परामर्शदाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। शासनादेश संख्या-1919/33-3-2008-100(57)/08, दिनांक 30.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्त धनराशि योजनान्तर्गत राष्ट्रीय बैंक में खोले गये बचत खातों में ही रखा जायेगा, जिसका लेखा जोखा व कैशबुक पृथक से अनुरक्षित किया जायेगा।

(3) इस धनराशि से वे कार्य ही कराए जाएंगे जिनकी स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासनादेश संख्या-612/33-3-2013-59/2013, दिनांक 22 फरवरी, 2013 के अधीन प्रदान की जाए। जिलाधिकारी योजनाओं की स्वीकृति एवं बी०आर०जी०एफ० विकास अनुदान खाता से धनराशि के आहरण की स्वीकृति देने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त योजना जिला योजना समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना के रूप में अनुमोदित हो।

(4) समस्त कार्यो/परियोजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरकार की मार्गनिर्देशिका तथा राज्य सरकार व परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा

समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया जाएगा। शासनादेश सं०-686/33-3-2013-69/2013, दिनांक 01.03.2013 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला योजना प्रबंध इकाई एवं पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन शासनादेश सं०-609/33-3-2013-48/2013, दिनांक 22.02.2013 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अधिकारी परियोजनाओं के निरीक्षण हेतु उत्तरदायी होंगे।

(5) अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवंटित धनराशि को जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा नगर निकाय को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझी जाए। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से प्रदत्त धनराशि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ही है। अतः भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से स्वीकृत योजनाओं का कार्य/परियोजना स्थल का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व व्यय का पूर्ण विवरण परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि/भारत सरकार को निर्धारित समयावधि तक उपलब्ध कराना अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता का उत्तरदायित्व होगा। अतः पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से स्वीकृत धनराशि का अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाएगा और माह के अन्त में लेखा रजिस्टर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और मदवार मासिक व्यय विवरण परियोजना प्रबन्ध इकाई को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार संबंधित जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व नगर निकाय द्वारा भी अपने-अपने स्तर पर स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा जोखा रखा जाएगा और माह के अन्त में लेखा रजिस्टर उत्तरदायी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं नियमित रूप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रूपपत्रों पर प्रगति विवरण एवं भारत सरकार को भेजे जाने वाला उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता को उपलब्ध कराए जाएंगे। अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा नियमित रूप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रूप पत्रों पर प्रगति विवरण एवं भारत सरकार को भेजे जाने वाला उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस शासनादेश के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों पर ही किया जाए और किसी भी दशा में व्यावर्तन नहीं किया जाएगा।

(8) आवंटित की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व पंचायतवार/निकायवार एवं संलग्न फॉट के सही होने/ धनराशियों का आहरण बजट प्राविधान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपयुक्त लेखा शीर्षकवार ही किया जाना सुनिश्चित करने का दायित्व, परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, बी.आर.जी.एफ उ०प्र० का होगा।

(9) आवंटित की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व परियोजना निदेशक, बी.आर.जी.एफ. यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि इन धनराशियों के संबंध में भारत सरकार

के संबंधित पत्रों के माध्यम से संबंधित जनपदों के लिए उपरोक्तानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी है, उनमें जनपदवार/निकायवार/पंचायतवार /एस.सी. पी.एस.सी. /एस.टी.एस.पी. तथा नान /एस.सी. पी.एस.सी./एस.टी.एस.पी. कम्पोनेन्टवार अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष ही धनराशियाँ व्यय की जायेंगी तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं भारत सरकार के गाइडलाइन्स का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त योजनान्तर्गत होने वाला व्यय संलग्न फॉट के अनुसार पंचायतवार/ निकायवार विवरण में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-14 आयोजनागत-पूँजीगत व्यय के अर्न्तगत सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-09/दस-13 दिनांक 03.01.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(भरत लाल राय)
विशेष सचिव।

संख्या : (1)/33-3-2014-100(15)/2013, तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- स्टाफ अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), उत्तर प्रदेश।
- 7- परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उ0प्र0
- 8- आयुक्त, संबंधित मण्डल।
- 9- अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद, लखीमपुर खीरी।
- 10- जिलाधिकारी, जनपद लखीमपुर खीरी।
- 11- मुख्य विकास अधिकारी, जनपद लखीमपुर खीरी।
- 12- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद लखीमपुर खीरी।
- 13- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-2/आडिट-2, इलाहाबाद।
- 14- वित्त (आय-व्ययक) 1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- पंचायतीराज अनुभाग-1/2
- 17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या - 03 | 33-3-2014-100(15) | 2013 दिनांक - 03
जनवरी, 2014 का संलग्नक I से IV

संलग्नक - I

वर्ष 2013-14 हेतु बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत विकास अनुदान मद में स्वीकृत आय व्ययक के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि का जनपदवार नगर निकायों को आवंटन।

अनुदान संख्या-14 (आयोजनागत) / पूँजीव्यय
2575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय
02 पिछड़े क्षेत्र
192 नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम
35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	नगर निकाय			योग
		एस0सी0 पी0एस0सी0	एस0टी0 एस0पी0	नॉन एस0सी0 पी0एस0सी0 / एस0टी0 एस0पी0	
1	लखीमपुर खीरी	9800.00	460.00	28040.00	38300.00
	योग-	9800.00	460.00	28040.00	38300.00

S



(अरविन्द कुमार सिंह)
उप परियोजना निदेशक
बी0एम0यू0 बी0आर0 जी0एफ0
लखीमपुर

शाहमादेश सं० ३/३३-३/१५-१००(१५)/२०१३
दिनांक १५ जनवरी, २०१४ का तालिका

संलग्नक - II


वर्ष २०१३-१४ हेतु बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत विकास अनुदान मद में स्वीकृत आय व्ययक के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि का जनपदवार जिला पंचायतों को आवंटन।

अनुदान संख्या-१४ (आयोजनागत) / पूँजीव्यय

- २५७५ अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय
०२ पिछड़े क्षेत्र
१९६ जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता
०३ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम
३५ पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

(धनराशि रू० हजार में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	जिला पंचायत			योग
		एस०सी० पी०एस०सी०	एस०टी० एस०पी०	नॉन एस०सी० पी०एस०सी०/ एस०टी० एस०पी०	
१	लखीमपुर खीरी	७८४०.००	३६८.००	२२४३२.००	३०६४०.००
	योग-	७८४०.००	३६८.००	२२४३२.००	३०६४०.००


अरविन्द कुमार शिंड ()
जिला परिषद, जिला पंचायत
लखीमपुर खीरी

शासन सं - 03/33-3/14-100(15)/2013
03 जनवरी, 2013 का कलकत्ता


संलग्न - 11

वर्ष 2013-14 हेतु बी0आर0जी0एफ0 योजनान्तर्गत विकास अनुदान मद में स्वीकृत आय व्ययक के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि का जनपदवार क्षेत्र पंचायतों को आवंटन।

अनुदान संख्या-14 (आयोजनागत) / पूँजीव्यय
2575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय
02 पिछड़े क्षेत्र
197 ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता
03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम
35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	क्षेत्र पंचायत			योग
		एस0सी0 पी0एस0सी0	एस0टी0 एस0पी0	नॉन एस0सी0 पी0एस0सी0/ एस0टी0 एस0पी0	
1	लखीमपुर खीरी	3920.00	184.00	11216.00	15320.00
	योग-	3920.00	184.00	11216.00	15320.00

5 → 
संलग्न संख्या-14
03 जनवरी, 2013


शासनादेश नं० - 03/33-3/2014-100(15)/2014
 0 अगस्त, 2014 का तिथि
 संलग्नक - IV

वर्ष 2013-14 हेतु बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत विकास अनुदान मद में स्वीकृत आय व्ययक के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि का जनपदवार ग्राम पंचायतों को आवंटन।

अनुदान संख्या-14 (आयोजनागत) / पूँजीव्यय
 2575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय
 02 पिछड़े क्षेत्र
 198 ग्राम पंचायतों को सहायता
 03 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम
 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

(धनराशि रू० हजार में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	ग्राम पंचायत			योग
		एस०सी० पी०एस०सी०	एस०टी० एस०पी०	नॉन एस०सी० पी०एस०सी० / एस०टी० एस०पी०	
1	लखीमपुर खीरी	27440.00	1288.00	78512.00	107240.00
	योग-	27440.00	1288.00	78512.00	107240.00


 (अधिकारी का नाम और शिर्षक)
 जनपद विकास अधिकारी
 लखीमपुर खीरी